



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-20012026-269457
CG-OR-E-20012026-269457

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2026/पौष 30, 1947

No. 242]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2026/PAUSHA 30, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 20 जनवरी, 2026

का.आ. 270(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम १९८९ (१९८९ का २४) की धारा २ के खंड ७(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ओडिशा राज्य में एतद्वारा निचे दी गई तालिका के स्तम्भ (२) में वर्णित अधिकारियों के स्तम्भ (३) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजनाओं के क्षेत्र के सम्बन्ध में इस तरह कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

तालिका

क्रम सं	सक्षम प्राधिकारी का नाम	विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	तहसीलदार, भद्रक	खुर्दा रोड (केयूआर) सेक्शन के अंतर्गत बौदपुर(आरडीबीआर)- केंदुआपड़ा(केईडी) के बीच किमी 296/23-25 पर मानवयुक्त नियंत्रण रेखा संख्या 120 को बंद करने के बदले में सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।

2.	तहसीलदार, बोंथ	खुर्दा रोड (केयूआर) सेक्शन के अंतर्गत मंजुरी रोड (एमजेडजेड)-बैतरनी रोड(बीटीवी) के बीच किमी 304/15-17 पर मानवयुक्त नियंत्रण रेखा संख्या 123 को बंद करने के बदले में सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।
3.	तहसीलदार, बोंथ	खुर्दा रोड (केयूआर) सेक्शन के अंतर्गत जेनापुर(जेईएन)-न्यूगढमधुपुर (एनजीएमपी) के बीच किमी 308/13-15 पर मानवयुक्त नियंत्रण रेखा संख्या 124 को बंद करने के बदले में सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।
4.	तहसीलदार, भंडारीपोखरी	खुर्दा रोड (केयूआर) सेक्शन के अंतर्गत न्यूगढमधुपुर (एनजीएमपी)-हरिदासपुर (एचडीएस) के बीच किमी 315/41-316/1 पर मानवयुक्त नियंत्रण रेखा संख्या 129 को बंद करने के बदले में सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।

[फा. सं. सीएओ/निर्माण/आरएसपी/बीबीएस/2026/04 आरओबीएस/7(ए)]
सुधीर कुमार परिडा, मुख्य अभियंता(निर्माण-III)

MINISTRY OF RAILWAYS
[(East Coast Railway (Construction))]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 20th January, 2026

S.O. 270(E).— In exercise of the powers, conferred by Clause 7(A) of Section—2 of the Railways Act, 1989(24 of 1989) the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the Table below as the Competent Authority to perform the function of such authority under said Act in respect of area of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the Table below in the State of Odisha with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	Area of the Special Railway Project
(1)	(2)	(3)
1.	The Tahasildar, Bhadrak	Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No.120 at Km 296/23-25 between Baudpur(RDBR)-Kenduapada(KED) under Khurda Road (KUR) Section.
2.	The Tahasildar, Bonth	Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No.123 at Km 304/15-17 between Manjuri Rd.(MZZ)-Baitarani Rd.(BTV) under Khurda Road (KUR) Section.
3.	The Tahasildar, Bonth	Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No.124 at Km 308/13-15 between Jenapur(JEN)-Newgarhmadhupur (NGMP) under Khurda Rd.(KUR) Section.
4.	The Tahasildar, Bhandaripokhari	Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No.129 at Km 315/41-316/1 between Newgarhmadhupur (NGMP)-Haridaspur(HDS) under Khurda Road (KUR) Section.

[F. No. CAO/CON/RSP/BBS/2026/04 ROBs Odisha/7(A)]
SUDHIR KUMAR PARIDA, Chief Entineer (Construction-III)